सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 118 राँची ,शुक्रवार 8 फाल्गुन 1936 (श०)

27 फरवरी, 2015 (ई०)

पर्यटन विभाग

संकल्प

26 फरवरी, 2015

विषय:- देवघर महोत्सव (देवघर), बासुकीनाथ महोत्सव (बासुकीनाथ), ईटखोरी महोत्सव (चतरा), माघी मेला (साहेबगंज) तथा हिजला मेला (दुमका) को राजकीय महोत्सव घोषित करने एवं राजकीय महोत्सव घोषित करने की नीति बनाने के संबंध में ।

संख्या - पर्य०/यो०-12/2015/272.-- झारखंड राज्य में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्थानीय कला की विविधता मौजूद है। राज्य के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग विषयों को ध्यान में रखते हुए परम्परागत तरीके से मेला, प्रदर्शनी तथा महोत्सव मनाये जाने की विशिष्ट परिपाटी रही है। इन मेलों, प्रदर्शिनियों एवं महात्सवों को स्थानीय समिति अथवा स्थानीय प्रशासन और कई बार राज्य सरकार के किसी विभाग के माध्यम से आयोजित किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसे आयोजनों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग दिया जाता रहा है। ऐसे आयोजनों में आर्थिक एवं प्रशासनिक सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार

के किसी विभाग द्वारा अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। जिससे ऐसे आयोजनों में आर्थिक एवं प्रशासनिक सहभागिता सुनिश्चित करने में एकरूपता नहीं हो पाती है ।

2. उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2015 को ईटखोरी महोत्सव (चतरा) में ईटखोरी महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की घोषणा के मद्देनजर देवघर महोत्सव, बासुकीनाथ महोत्सव, इटखोरी (चतरा) महोत्सव, माघी मेला (साहेबगंज) तथा हिजला मेला (दुमका) को राजकीय महोत्सव घोषित करने एवं भविष्य में किसी भी महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित करने की एक नीति बनाने तथा इस कार्य हेतु पर्यटन विभाग को नोडल विभाग घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था ।

3. सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

(i) ''देवघर महोत्सव (देवघर)'' ''बासुकीनाथ महोत्सव (बासुकीनाथ, दुमका)'', ''ईटखोरी महोत्सव (चतरा)'' ''माघी मेला (साहेबगंज)'' तथा हिजला मेला (दुमका) को राजकीय महोत्सव घोषित किया जाता है ।

(ii) किसी भी महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित करने की एक नीति बनाई जायेगी। इस कार्य हेतु पर्यटन विभाग नोडल विभाग होगा ।

(iii) पर्यटन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु बनाए जाने वाली नीति में निम्न सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

(क) किसी भी आयोजन को राजकीय आयोजन घोषित करने हेतु राज्य स्तरीय समिति होगी जिसमें सचिव, पर्यटन विभागय सचिव, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग और सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग सदस्य होगें। समन्वयक के रूप में वरीयतम सचिव/प्रधान सचिव कार्य करेंगे ।

(ख) समिति की अनुशंसा के आधार पर पर्यटन विभाग किसी आयोजन को राजकीय आयोजन के रूप में घोषित कर सकेगा ।

(ग) राज्य स्तरीय अनुशंसा समिति को किसी भी आयोजन को राजकीय आयोजन घोषित करने हेतु प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के माध्यम से ही प्राप्त होगी। जिला स्तरीय समिति में सरकारी गैर-सरकारी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी ।

(घ) किसी आयोजन को दी जाने वाली वितीय सहायता की राशि एवं अनुमान्य शीर्ष को तय करने के लिए मापदंड निर्धारित किया जायेगा ।

(iv) उपर वर्णित नीति को यथाशीघ्र मंत्रिमंडल के समक्ष स्वीकृति हेतु पर्यटन विभाग द्वारा लाया जायेगा। जबतक उपर वर्णित नीति पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तबतक पर्यटन विभाग अथवा अन्य संबंधित विभाग पूर्व की परिपाटी के अनुसार वितीय सहायता उपलब्ध कराते रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 118—50+100 ।